रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 1997/अग्रहायण 26, 1919
No. 60] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 1997/AGRAHAYANA 26, 1919

## टेलीकाम रेगूलेटरी अथारिटी आफ इंडिया

### दूर संचार शुल्क निर्धारण के संबंध में अधिसूचना : इंटरनेट सेवा शुल्क

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1997

**सं. 301-1/97-वित्त.**—संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने टेलीकाम रेगूलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया (टी आर ए आई) से टी आर ए आई अधिनियम, 1997 (अधिनियम सं० 1997 का 24) के तहत दूरसंचार विभाग तथा विदेश संचार निगम लि० (वी एस एन एल) द्वारा संचालित इंटरनेट सेवाओं पर वर्तमान में लागू शुल्क का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का अनुरोध किया था ताकि इन सेवाओं के उपयोग में वृद्धि की जा सके :

| योजना का टाइप | एक वर्ष की अवधि के लिए | वर्तमान शुल्क (रु०) | नया शुल्क (रु०) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| योजना-I | 100 घंटे | — | 3,000 |
| योजना-II | 250 घंटे | — | 6,500 |
| योजना-III | 500 घंटे | 15,000 | 10,000 |
| — | — | — | प्रत्येक 20 घंटे के लिए 30 रु० प्रति घंटा की वृद्धिशील अंशदान |

2. चूंकि इस प्रस्ताव के वर्ततान शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव है, अत: टी आर ए आई ने टी आर ए आई में इस समय चल रहे समग्र शुल्क पुन: सन्तुलन के कार्य के एक भाग के रूप में इसकी जांच लम्बित रहने तक अनन्तिम शुल्क के रूप में इसकी मंजूरी हेतु एक तीव्रगामी रास्ता अपनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए 4 नवम्बर, 1997 को एक परामर्श पत्र (97/1) जारी किया गया था और तदनुसार, एक अलग परामर्श पत्र (सं० 97/2) 18 नवम्बर, 97 को जारी किया गया था जिसमें प्रस्तावित शुल्क में रुचि रखने वाली पार्टियों के विचार मांगे गये थे।

3. लिखित में प्राप्त टिप्पणियों तथा 4 दिम्सबर, 97 को खुले मंच में प्रस्तावित टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् टी आर ए आई में दूरसंचार विभाग द्वारा टी सी पी/आई पी डायल सेवाओं पर प्रस्तावित शुल्क को अनन्तिम आधार पर स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते

समय टी आर ए आई ने 4 दिसम्बर, 1997 को खुले मंच में लीज्ड लाइन और पोर्ट चार्जेज में अधोगामी संशोधन के प्रस्ताव की घोषणा के दूरसंचार विभाग के अभिप्राय: को ध्यान में रखा है।

4. अब, इसलिए, अथारिटी टी आर ए आई अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 के तहत उसमें निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आम जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि दूरसंचार विभाग तथा वी एस एन एल इंटरनेट सेवा के प्रावधान के लिए अनन्तिम रूप से उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में दिये गये चार्ट के कालम 4 में निर्दिष्ट शुल्क लागू होंगे। यह 1 जनवरी 1998 से आगामी आदेशों तक लागू होंगे।

राकेश कपूर, संयुक्त सचिव (वाणिज्य)

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

### Telecom Tariff Setting Notification : Internet Service Tariff

New Delhi, the 16th December, 1997

**No. 301-1/97-Fin.**—The Ministry of Communications, Department of Telecommunications, (DOT) approached the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) under Sub-section 2 of Section 11 of the TRAI Act, 1997 (Act No. 24 of 1997) for restructuring the presently applicable tariff to internet services operated by the DOT and Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL), as indicated below, in order to promote the use of these services :

| Type of Plans | Duration for one year | Existing Tariff (Rs.) | New Tariff (Rs.) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Plan-I | 100 hours | — | 3,000 |
| Plan-II | 250 hours | — | 6,500 |
| Plan -III | 500 huors | 15,000 | 10,000 |
| — | — | — | Incremental subscription in steps of 20 hours each as a rate of Rs. 30 per hour. |

2. Since the Proposal involves reduction in the existing tariff, TRAI decided to adopt a fast-track approach to its clearance as a provisional tariff pending its examination as a part of the overall tariff rebalancing exercise now under way in the TRAI, for which a consultation paper (97/1) was issued on November 4, 1997, and, accordingly, issued a separate consultation paper (No. 97/2) on November 18, 1997 seeking views of interested parties to the proposed tariff. This was followed by an Open House Session on December 4, 1997.

3. After considering the comments received in writing as well as those offered in the Open House Session on the 4th of December, 1997, TRAI has decided to accept the proposed tariff for TCP/ IP dial up services suggested by the DOT on a provisional basis. While accepting this proposal, TRAI has taken note of DOT's intention, announced in the Open House Session on December 4, 1997, of proposing downward revision of leased line and port charges.

4. Now, therefore, in exercise of powers vested in it under Sub-Section 2 of Section 11 of the TRAI Act, the Authority hereby notifies for general information that provisionally the DOT and VSNL will levy for the provision of internet service the tariff indicated in column 4 of the chart in paragraph 1 above. This will be applicable from January 1, 1998 until further orders.

RAKESH KAPUR, Jt. Secy. (Com.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997